## नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 08 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, सवार हरकारा, समूह 'ग' भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सवार हरकारा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सवार हरकारा (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2021 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सवार हरकारा	01*(2021)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900- 63200 रुपये)	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों या

		अभ्यर्थियों की दशा में
		पैंतालीस वर्ष की आयु तक
		शिथिल की जा सकती है।)
		टिप्पण : आयु-सीमा
		अवधारित करने के लिए
		निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से
		आवेदन प्राप्त करने के लिए
		नियत की गई अंतिम तारीख
		होगी और न कि वह अंतिम
		तारीख जो असम, मेघालय,
		अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम,
		मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,
		सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के
		लाहौल और स्पिति जिला तथा
		चम्बा जिला का पांगी उपखंड
		और लद्दाख़, अंदमान एवं
		निकोबार द्वीपसमूह और
		लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के
		अभ्यर्थियों के लिए विहित की
		गई है ।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास के साथ हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का वैध चालक लाइसेंस। वांछनीय: 1. प्राप्ति एवं प्रेषण से सम्बन्धित कार्य का एक वर्ष का अनुभव। 2. ऑटो या साइकिल चलाने का ज्ञान। (टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती हैं)।	आयु- नहीं अर्हता- हाँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :	विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:	लागू नहीं होता।
सफदरजंग अस्पताल के समूह 'ग' के	1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष;	
ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने वेतन	2. उपनिदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल,	
मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-	नई दिल्ली - सदस्य;	
56900/- रुपये) में तीन वर्ष की	<ol> <li>स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल के</li> </ol>	
नियमित सेवा की है और जो स्तम्भ	प्रशासनिक कार्य संभालने वाले उपनिदेशक - सदस्य ।	
(7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक		
अर्हताएं रखते हैं।		
प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा		
सहित) :		
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या		
विश्वविद्यालयों या		
मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी –		
,		
क) (i) जो नियमित आधार पर		
सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा		
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के		
स्तर-1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा		
की है; और		
ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।		

[फा. सं. ए.11018/23/2019-एमएच-II] प्रेम नारायण, अवर सचिव

#### New Delhi, the 27th January, 2021

- **G.S.R. 08**.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjang Hospital, Despatch Rider, Group 'C' Recruitment Rules 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider in Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Despatch Rider (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating, thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.—No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
  - shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Despatch Rider	1* (2021)  *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix.(19900-63200)	Non Selection.	Between 18 and 25 years.  (Relaxable for Government servants up to forty years in case of general candidates and forty- five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date

		prescribed for those in Assam, Meghalaya Arunachal Pradesh Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pang Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Union territories of Ladakh Nicobar Islands and
		Nicobar Islands and Lakshdweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
12 th pass from a recognized Institution or Board with valid driving license of Light Motor Vehicle (LMV)  Desirable:  1. Experience of one year in work related to diary and despatch  2. knowledge of Auto or Cycling '	Age- No Qualification-Yes	Two years for Direct Recruits.	By promotion failing which by deputation (ISTC) failing both by direct recruitment
(Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.			

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion  From Group-C employees in Safdarjung Hospital with three years regular service in the Level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column - 7.	Departmental Confirmation Committee consisting of:-  1. Additional Medical Superintendent , Safdarjung Hospital - Chairman;  2. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital, New Delhi - Member;  3. Deputy Director looking after the administration work of Safdarjung Hospital in Directorate General of Health Services - Member.	Not applicable.

Deputation(including short	
term contract)	
term contract)	
(i) Officers under the central	
( )	
or state government or Union	
territories or autonomous or	
statutory organizations or	
• •	
Public Sector Undertaking or	
University or recognized	
Research Institution	
(a) (i) holding analogous	
posts on regular basis;	
or	
(ii) with three years regular	
service in the pay scale in	
Level-1 of the pay matrix and	
(b) possessing the educational	
qualifications and experience	
prescribed for direct recruits	
-	
under column 7.	

[F. No. A. 11018/23/2019-MH-II]
PREM NARAIN, Under Secy.

# नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 09 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (मैकेनिक-मोटर वाहन), भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में मैकेनिक-मोटर वाहन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (मैकेनिक-मोटर वाहन), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2021 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने, अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: